

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद आगरा में लोक निर्माण विभाग द्वारा अबन्तीबाई चौराहे से रोहता नहर तक (आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग) का छः लेन चौड़ीकरण में 2.45 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 317 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति विषयक प्रस्ताव।

| | | |
|-----|---|---|
| 14. | स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। | हाँ, दिनांक 12.10.2017, निरीक्षण नोट संलग्न है। |
| 15. | क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं। | सहमत |
| 16. | प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत प्रकरणों के साथ विशेष सिफारिशें - | प्रस्ताव जनहित में है। अतः भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। |

दिनांक : 12.10.2017

स्थान : आगरा।



वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।
आगरा वृत्त, आगरा।


Inspection Note

The area under proposal for the land transfer has visited by the undersigned on 12.10.2017 along with Shri D.K. Singh, SDO, Fatehabad, Shri Sanjeev Upadhyay, AE, PWD, Shri Raj Kumar Sharma, RO City Range, Agra and Shri Vipin Kumar Verma, JE, PWD.

It was found that the proposal has been submitted for cutting of minimum possible trees and the user agency has not violated any provisions of Forest (Conservation) Act, 1980. The trees has been marked with red paints and been numbered kilometerwise. The proposal may be recommended in the larger public interest as proposed.

Date : 12.10.2017
Place : Agra

 12.10.17
(Ramesh Kumar Panday)
Conservator of Forests,
Agra Circle, Agra

वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा